न्यायाधीश **सूर्यकांत और आर. पी. नागरथ** *के समक्ष*

विक्रम सिंह @विकी वालिया और अन्य-याचिकाकर्ताबनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 18956

3 अक्टूबर, 2012

भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद *14* और *21* - भारतीय दंड संहिता, *1860* - धारा *364-A* - धारा *364-A IPC* में संशोधन को चुनौती दी गई जिसके तहत "फिरौती के लिए अपहरण" के अपराध को मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया है - याचिकाकर्ताओं ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की भी मांग की - याचिकाकर्ताओं को फिरौती के लिए एक नाबालिग के अपहरण का दोषी ठहराया गया - याचिकाकर्ता # *2* के प्रकटीकरण बयान के आधार पर नाबालिग का शव बरामद किया गया - सभी न्यायालयों ने समवर्ती रूप से माना कि आरोपी भी आईपीसी की धारा *364*ए के तहत भी दोषी थे - अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई गई - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा को बरकरार रखा गया, हालांकि याचिकाकर्ता की पत्नी को दी गई सजा # *2* को आजीवन कारावास में बदल दिया गया - आईपीसी की धारा *364*-ए के पूर्वव्यापी सम्मिलन को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई - याचिका खारिज कर दी गई - याचिकाकर्ता^ का दावा है कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य केवल उन लोगों को दंडित करना है जो सरकार के खिलाफ अपराध करते हैं, कोई भी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन, इस प्रकार पूरी तरह से प्रहसन है और धारा *364*-ए आईपीसी के विधायी इतिहास के विपरीत है।

माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति, इसकी गंभीरता और वर्ष 1993 में धारा 364-ए के समावेश द्वारा प्राप्त किए गए विधायी उद्देश्य के अनुरूप उचित सजा पर विचार किया। पीठ ने कहा, "अब यह दलील देने की मांग की गई है कि आईपीसी की धारा 374-ए केवल तभी लागू होती है जब कार्यालय सरकार या किसी विदेशी देश आदि के खिलाफ प्रतिबद्ध होता है या याचिकाकर्ताओं के मामले में ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने समर्थन नहीं दिया।

(पैरा 13)

आगे कहा गया, कि 1995 की धारा 364-ए आई पीसी विडक संशोधन अधिनियम संख्या 24 के आगे संशोधन का उद्देश्य 17 दिसंबर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए 'बंधकों को लेना' के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप घरेलू कानून लाना था और जिसमें भारत ने डब्ल्यूसी एफ 7 सितंबर, केवल 1994। 'मैं याचिकाकर्ता का दावा है कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य केवल उन लोगों को दंडित करना है जो सरकार, किसी भी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के खिलाफ अपराध करते हैं, इस प्रकार पूरी तरह से प्रहसन है और धारा 364-ए आईपीसी के विधायी इतिहास के विपरीत है।

(पैरा 16)

आगे कहा गया, कि प्रावधान की 'क्रांतिरक्षकता' को चुनौती पूरी तरह से भ्रामक और भ्रामक है क्योंकि 14 फरवरी, 2005 के बाद धारा 364-ए आई पीसी में कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं गया है, अर्थात् याचिकाकर्ताओं द्वारा अपराध करने की तारीख।

(पैरा 17)

आगे कहा गया, कि किसी अधिनियम को अपराध के रूप में परिभाषित करना मुख्य रूप से विधायिका का कर्तव्य है। ऐसे अपराध के लिए दंड का निर्धारण भी एक विधायी नीति है। प्रत्येक विधायी कार्रवाई को संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो। इसकी वैधता की धारणा का खंडन करने के लिए एक विधायी कार्रवाई को चुनौती इस प्रकार दो प्रसिद्ध सिद्धांतों पर है, अर्थात्, (i) क्या विधायी कार्रवाई मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करती है; (ii) क्या विधानमंडल, जिसने आक्षेपित कानून बनाया था, संविधान के अनुच्छेद 246 के अर्थान्तर्गत इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम था?

(पैरा 19)

बिक्रम चौधरी, एडवोकेट और बीएस बिलोविरिया, एडवोकेट, याचिकाकर्ताओं के लिए।

अनमोल रतन सिद्धू, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल नरेश कुमार जोशी, भारत संघ के लिए वरिष्ठ वकील (विशेष सगाई श्रेणी) के साथ।

मोनिका छिब्बर शर्मा, डीएजी पंजाब

रवि दत्त शन्ना, डीएजी हरियाणा

सूर्य कांत, जे।

(1) याचिकाकर्ताओं ने *22* मई, *1993* से *1993* के अधिनियम संख्या *42* द्वारा सम्मिलित भारतीय दंड संहिता की धारा *364*-ए को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका की मांग की है, जिसके तहत 'फिरौती के लिए अपहरण' के अपराध को *22* मई, *1993* से 'पूर्वव्यापी रूप से' मौत या कारावास के साथ दंडनीय बना दिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह अधिकारातीत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 विनोद कुमार बनाम **हरियाणा राज्य (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले को फिर से खोलने** के निर्देश के साथ 5 अक्टूबर, 2012 को जारी डेथ वारंट के निष्पादन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए परमादेश की भी मांग की।

(2) इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में देखा जा सकता है क्योंकि ऊपर उठाए गए मुद्दे तथ्यात्मक सरगम के आसपास नहीं हैं।

(3) याचिकाकर्ताओं को सुनार रवि वर्मा के 16 वर्षीय नाबालिग बेटे अभि वर्मा के अपहरण का दोषी पाया गया। नाबालिग का शव दूसरे याचिकाकर्ता के बयान के आधार पर बरामद किया गया था। सभी न्यायालयों ने समवर्ती रूप से माना है कि मृतक के पिता याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसके परिवार के परिचित थे, और उस परिचित के तहत अपहरण ट्रस्ट को धोखा देते हुए किया गया था; तीनों आरोपियों ने अपराध का पता लगाने से रोकने के लिए पीड़ित के दोनों हाथों और पैरों को बांधने और टेप से उसके मुंह को सील करने के बाद उसे क्लोरोफॉर्म और फोर्टविन को भारी मात्रा में इंजेक्शन देकर पूर्वनियोजित तरीके से हत्या का अपराध किया; (क) क्या यह सच है कि ये तीनों बच्चे के शव की बरामदगी तक पूर्व-योजना से निकटता से जुड़े रहे;

(1) 2006 सीआरएल लॉ जर्नल 170

यह केवल हत्या का मामला नहीं था, बल्कि आरोपी धारा 364-ए आईपीसी के तहत भी दोषी थे; यह कि याचिकाकर्ताओं और पीड़ित के परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और नृशंस हत्या केवल 50 लाख रुपये की भारी फिरौती लेने के लिए की गई थी।

(4) सत्र मामला संख्या 24 दिनांक 3 सितंबर, 2005 में धारा 302, 364-ए, 201

और 120-बी आईपीसी के तहत मुकदमे के कारण याचिकाकर्ताओं और उनके सह-आरोपी सोनिया, याचिकाकर्ता नंबर * 2 की पत्नी को दोषी ठहराया गया, जिन्हें निम्नलिखित सजा दी गई थी।

आरोपी का नाम	धारा के तहत दोषी करार	लगाई गई सजा
विक्रम सिंह @ विक्की	302 आईपीसी	अवसान
	364 ए आईपीसी	अवसान
	201 आईपीसी	सात साल के लिए आरआई
	120-बी आईपीसी	सात साल के लिए आरआई
जसवीर सिंह @ जस्सा	302 आईपीसी	अवसान
	364 ए आईपीसी	अवसान
	201 आईपीसी	सात साल के लिए आरआई
	120-बी आईपीसी	सात साल के लिए आरआई
श्रीमती सोनिया	302 आईपीसी	अवसान
	364 ए आईपीसी	अवसान
	201 आईपीसी	सात साल के लिए आरआई
	120-बी आईपीसी	सात साल के लिए आरआई"

(5) 2007 की हत्या संदर्भ संख्या 1 को 30 मई, 2008 के इस न्यायालय के फैसले द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तीन अभियुक्तों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी, जिसमें उनकी आपराधिक अपील संख्या 105-डीबी ऑफ 2007 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं और उनके सह-अभियुक्तों सोनिया ने 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1396-97 को प्राथमिकता दी, जिसे 25 जनवरी, 2010 के जे-एलओ.बी.एल.सी. के फैसले से खारिज कर दिया गया था, जिसमें उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा गया था, हालांकि याचिकाकर्ता नंबर 2 की सह-आरोपी सोनिया पत्नी के मामले में, इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जो इस प्रकार है: -

> *"30.* हालांकि, हम जसबीर सिंह की पत्नी महिला अपीलकर्ता सोनिया के पक्ष में कुछ कारण पाते हैं। समग्र तस्वीर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जब अभि
>
> वर्मा को डीएवी स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया था, सोनिया मौजूद नहीं थी और हो सकता है कि वह अपने पति और विक्रम सिंह के दबाव में आने के कारण साजिश में उलझ गई हो, उसके प्रति कुछ नरमी दिखाई जानी चाहिए। इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक सोनिया का संबंध है, उसकी मौत की सजा को जीवन में बदल दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं। हालांकि, अन्य दो अपीलकर्ताओं की अपील खारिज की जाती है। "

(6) यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि अभियुक्त का कृत्य पूरी तरह से शैतानी था और इसे 'दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में लाने के लिए एक तरह की भयावहता प्राप्त कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर मौत की चरम सजा दी गई थी, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके सह-आरोपी सोनिया के प्रति कुछ उदारता दिखाई गई थी, जिसके कारण पहले से ही इस आदेश के पैरा 5 में पुन: प्रस्तुत किए गए थे।

(7) याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका में खुलासा नहीं किया है और उनके वकील ने भी खुलासा किया है कि क्या वे किसी दया याचिका को प्राथमिकता देते हैं या नहीं और यदि हां, तो इसका परिणाम क्या था। इस बीच, होशी अरपुर की सत्र अदालत ने फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया है, जिससे याचिकाकर्ताओं ने शुरुआत में हमारे द्वारा देखी गई राहत के लिए ये कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

(8) अब हम इस रिट याचिका में की गई विभिन्न प्रार्थनाओं का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित आधार, तर्क और दलील दे सकते हैं: -

(1) 'फिरौती के लिए अपहरण' के लिए मौत की सजा देने के लिए किसी भी तर्क या वैध वर्गीकरण की व्याख्या किए बिना आईपीसी की धारा 364-ए का 'पूर्वव्यापी' सम्मिलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। स्वामी **श्रद्धानानंद @ मुरली मनोहर मिश्रा** बनाम कर्नाटक राज्य *(2)* के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया गया था कि बचन **सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** *(3)* **में मौत की सजा देने के लिए निर्धारित मानदंड**, या माछी सिंह और अन्य में **सारांशित किए गए हैं।***(ख)* **पंजाब राज्य (4) के मामले में** भी पर्याप्त रूप से संपूर्ण नहीं पाया गया था

(2) (2008) 13 एससीसी 767
(3) (1980) 2 एससीसी 684
(4) (1983) 3 एससीसी 470

और मौत की सजा देने में एकरूपता और निरंतरता की कमी को विधिवत देखा गया था। चूंकि मृत्युदंड का प्रश्न व्यक्तिपरक तत्व से मुक्त नहीं है, इसलिए यह आग्रह किया गया था कि फिरौती के लिए अपहरण के अपराध के लिए ऐसी चरम सजा देना पूरी तरह से मनमाना है और दस्तावेज संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। इसी कारण से, यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है।

(11) फिरौती के लिए अपहरण के अपराध के लिए सजा के एक वाक्य में से एक मौत के शिलालेख के पीछे विधायी उद्देश्य सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद के खतरे को नियंत्रित करना, उन पर कोई कार्य करने या उससे दूर रहने या फिरौती देने के लिए दबाव डालना और इसे किसी निजी व्यक्ति की फिरौती के लिए अपहरण

के सरल मामले में अवार्ड न देना था। याचिकाकर्ता राज्य सभा द्वारा गठित 'गृह मामलों की समिति' की 29 नवंबर, 1994 की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी 4) पर भरोसा करते हैं, जिसके प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित प्रभाव के हैं: -

"6. समिति को प्रस्तुत अपने नोट में, गृह मंत्रालय ने पृष्ठभूमि और भारतीय दंड संहिता, *1860* की धारा *364-A* में संशोधन की आवश्यकता को निम्नानुसार समझाया*:* -

(1) बंधकों के अपहरण के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को *17* दिसम्बर, *1979* को संयुक्त राज्य अमेरिका की महासभा द्वारा अपनाया गया था। कन्वेंशन को ईरानी बंधक संकट की पृष्ठभूमि में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ना था। यह कन्वेंशन *3* जून, *1983* को लागू हुआ।

(2) अभिसमय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् राज्य, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन को बाध्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मारने, घायल करने या हिरासत में रखने की धमकी देता है।

एक प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति या बंधकों की रिहाई के लिए एक स्पष्ट या अंतर्निहित शर्त के रूप में कोई कार्य करने या करने से परहेज करने के लिए व्यक्तियों का एक समूह, यह बंधक लेने के अपराध का गठन करेगा।

*(*हाय*)* भारत ने *7* सितंबर, *1994* से कन्वेंशन को स्वीकार किया।

(4) वर्तमान में, बंधक बनाने का अपराध भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है। हालांकि, आपराधिक कानून *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1993* के तहत, फिरौती के लिए अपहरण आदि को मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना के साथ दंडनीय अपराध बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा *364* ए जोड़ी गई थी। दुष्प्रेरण और प्रयास पर भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के साथ पठित यह प्रावधान पहले से ही बंधक बनाने को कवर करेगा, जैसा कि कन्वेंशन में परिभाषित किया गया है कि यह अधिनियम भारत के क्षेत्र तक ही सीमित है। आईपीसी की धारा *364* ए उन स्थितियों पर ध्यान नहीं देती है जहां अपराध विदेशी राज्यों या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों को कोई कार्य करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया है।

(5) अत भारतीय दंड संहिता *(*संशोधन*)* विधेयक, *1994* का उद्देश्य फिरौती के लिए अपहरण आदि के संबंध में उक्त धारा *364* क में संशोधन करना है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सरकार या

किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना उस धारा के अधीन दंडनीय है। "

(3) धारा 364-ए आईपीसी में होने वाला वाक्यांश "व्यक्ति" और धारा 11 आईपीसी द्वारा परिभाषित एक व्यक्ति को बाहर करता है और एक कानूनी व्यक्ति, कंपनी या एसोसिएशन, या व्यक्तियों के निकाय के लिए है

केवल। यह जोरदार तर्क दिया गया था कि धारा 364-ए आईपीसी में संशोधन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटना था, इसलिए वाक्यांश "व्यक्ति" को संशोधित प्रावधान के उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 का संदर्भ दिया गया है जो इस प्रकार है: -

" अनुच्छेद 13

यह कन्वेंशन लागू नहीं होगा जहां अपराध <u>एक ही राज्य के भीतर किया जाता है, बंधक और कथित अपराधी उस राज्य के नागरिक हैं और कथित अपराधी उस राज्य के क्षेत्र में पाया जाता है। "</u> (महत्त्व लागू)

इन याचिकाकर्ताओं ने व्यय आयोग (कर), गुजरात बनाम दर्शन सुरेंद्र पारेख (5) **के फैसले पर भरोसा किया,** जिसमें कहा गया था कि "किसी क़ानून में किसी विशेष वाक्यांश के अर्थ पर पहुंचने में, वाक्यांश को उसके संदर्भ से अलग नहीं देखा जाना चाहिए; इसे इसके पूरे संदर्भ, शीर्षक, प्रस्तावना और क़ानून के अन्य सभी अधिनियमकों में देखा जाना चाहिए " और यह कि "सभी वैधानिक परिभाषाओं को परिभाषा खंडों में व्यक्त योग्यताओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए जो उन्हें बनाते हैं ... "। सुंदरा बाई दलीचंद **बनाम** मोरेश्वर महादेव गोखले और अन्य *(6)* **में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में,** आदेश 5 नियम 16 सीपीसी में "किसी अन्य व्यक्ति" वाक्यांश को परिभाषित करते हुए यह कहने के लिए भी दबाव डाला गया है कि धारा 364- ए आईपीसी में निहित अभिव्यक्ति "कोई अन्य व्यक्ति" उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनका उल्लेख उक्त वाक्यांश से तुरंत पहले किया गया है, अर्थात्, "सरकार या कोई विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन"।**समाचार पत्र लिमिटेड v^rxwx राज्य औद्योगिक अधिकरण, उत्तर प्रदेश और अन्य। (7) के संदर्भ** में यह भी उद्धृत किया गया था कि परिभाषा में बहुवचन में किसी शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति पर अधिनियम की प्रयोज्यता को अपवर्जित नहीं करता है क्योंकि अधिनियम को समग्र रूप में देखा जाना है और अधिनियम के सभी संघटक भागों का एक साथ अर्थ लगाकर इसका आशय निर्धारित किया जाना है।

(4) इसलिए फिरौती के लिए अपहरण के लिए मौत की सजा देना बंधकों को लेने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1979 ('मैं कन्वेंशन को छोड़ देता हूं') की पूरी तरह से अवहेलना है,

(5) एआईआर 1968 एससी 1125
(6) एआईआर 1959 बम 178
(7) एआईआर 1957 एससी 532

3 जून, 1983 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। याचिकाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद -2 पर भरोसा करते हैं जो कहता है कि "प्रत्येक राज्य पार्टी अनुच्छेद 1 में निर्धारित अपराधों को उचित दंड द्वारा दंडनीय बनाएगी जो उन अपराधों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हैं । कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि: -

"अनुच्छेद 1

7. कोई भी व्यक्ति जो किसी तीसरे पक्ष, अर्थात्, एक राज्य, एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन, एक प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति, या व्यक्तियों के एक समूह को मजबूर करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को मजबूर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मारने, घायल करने या जारी रखने के लिए धमकी देता है (इसके बाद "बंधक" के रूप में संदर्भित) बंधक लेने का अपराध करता है बंधक ("बंधक बनाना") इस कन्वेंशन के अर्थ के भीतर।

2. कोई भी व्यक्ति जो:

(1) बंधक बनाने का कार्य करने का प्रयास, या

(2) किसी भी व्यक्ति के एक साथी के रूप में भाग लेता है जो बंधक बनाने का कार्य करता है या करने का प्रयास करता है, इसी तरह इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए अपराध करता है। "

यह जोरदार तर्क दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मान्यता प्राप्त टुकड़ा है और इस तरह के कानून के साथ प्रतिकूलता की सीमा तक देश के कानून **को रद्द किया जा सकता है जैसा कि** जॉली जॉर्ज वर्गीज और अन्य में **शासन किया गया है।बनाम बैंक ऑफ कोचीन (8),** जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 11 और सीपीसी की धारा 51 के बीच एक स्पष्ट संघर्ष ने उनके लॉर्डशिप को यह देखने के लिए राजी किया कि: -

"शुरुआत में, हम कानून पर अनुच्छेद *11* का असर उठा सकते हैं जिसे एक भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जाना है जब सिविल प्रक्रिया संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो डिक्री ऋण का भुगतान न करने के लिए हिरासत को अधिकृत करता है।

वाचा केवल एक डिक्री ऋण का निर्वहन नहीं करने के लिए कारावास पर प्रतिबंध लगाती है। जब तक डिक्री को पैर करने में विफलता के अलावा कुछ अन्य उपाध्यक्ष या मेन्स रीया नहीं होते हैं, तब तक अंतरराष्ट्रीय कानून देनदार के व्यक्ति को सिविल जेल में रखने पर नाक-भौं सिकोड़ता है, अदालत द्वारा बंधक के रूप में। भारत अब इस प्रसंविदा और अनुच्छेद *5* (अनुच्छेद) का

(8) (1980) 2 एससीसी
360

हस्ताक्षरकर्ता है। *(ग)* राज्य को "संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने" के लिए बाध्य करता है। फिर भी, जब तक वाचा को समायोजित करने के लिए नगरपालिका कानून को बदल नहीं दिया जाता है, तब तक अदालत को जो बांधता है वह पूर्व है, बाद वाला नहीं। ए.एच. रॉबर्टसन ने "ह्यूमन राइट्स- इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ" में ठीक ही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को आंतरिक कानून बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक कानून को नगरपालिका कानून में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय नियमों की गिनती अकेले होती है ... व्याख्या के संबंध में, हालांकि, यह आम तौर पर राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में मान्यता प्राप्त एक सिद्धांत है कि, संदेह की स्थिति में, राष्ट्रीय नियम की व्याख्या राज्य के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार की जानी है। "

(v) धारा 364-क 1PC का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है कि मृत्युदंड नियम बन जाए जबकि आजीवन कारावास केवल अपवाद बन जाए, जब संविधि पहले या आदतन अपराधी के बीच कोई भेद न करे। चूंकि धारा 364-ए आईपीसी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के साथ या उसके बिना एक से अधिक प्रकार के 'फिरौती के लिए अपहरण' को परिभाषित करती है, इसलिए दंड की प्रकृति का वर्णन करने वाला इसका बाद का हिस्सा पहले भाग से संबंधित है जिसमें 'फिरौती के लिए अपहरण' की तीव्रता को वर्गीकृत किया गया है। इन मानदंडों को लागू करते हुए, 'फिरौती के लिए अपहरण' के एक साधारण मामले में मौत की सजा अत्यधिक है। **निरंजन करण सिंह पंजाबी एडवोकेट** बनाम **जितेंद्र भीमराज बिजजा और अन्य के मामले में फैसला सुनाया गया है। (9) में**, इस बात पर जोर देते हुए उद्धृत किया गया था कि जब कानून गंभीर दंडात्मक परिणामों वाले व्यक्ति से मिलता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि जिन लोगों को विधायिका ने क़ानून की व्यक्त भाषा द्वारा कवर करने का इरादा नहीं किया था, वे कानून की भाषा को खींचकर नहीं आते हैं।

(9) (1990) 4 एससीसी
76

(vi) याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-क के अंतर्गत अपराध के बारे में नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य अथवा निष्कर्ष नहीं था कि उन्होंने किसी सरकार अथवा किसी विदेशी राज्य अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन को कोई कार्य करने अथवा फिरौती देने के लिए बाध्य किया था। विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य (10) में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है **, जहां तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था** और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि, अपहरणकर्ताओं में से एक को पीड़िता के पिता से फिरौती मांगने के लिए एसटीडी बूथ में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासे के बयान पर अपहृत बच्चे के साथ उसके सह-आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गनीमत रही कि अपहृत बच्चा सकुशल मिल गया। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने हालांकि आरोपी की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन **बलवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (11)** में पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए, दोषसिद्धि को धारा 364-ए से धारा 364 आईपीसी में बदल दिया, यह देखते हुए कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी सरकार या विदेशी राज्य या एक अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन को कोई कार्य करने या फिरौती देने के लिए मजबूर किया।

(9) इन दलीलों का मुकाबला करते हुए, डॉ. सिद्धू, विद्वान सहायक एसजी और पंजाब और हरियाणा राज्यों के विद्वान वकील ने इस रिट याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है।

(10) इस रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करना अच्छी तरह से उचित हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं और उनके सह-आरोपी सोनिया को धारा 302 आईपीसी के तहत मूल अपराध का दोषी ठहराया गया है और उक्त अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है, जो धारा 364-ए आईपीसी के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा से स्वतंत्र है। केंद्र और राज्यों के वकील ने सही तर्क दिया कि धारा 364-ए आईपीसी की शक्तियों को चुनौती देने का यह घुमावदार मार्ग केवल मौत के वारंट के निष्पादन में देरी करने के लिए एक लबादा है, भले ही धारा 364-ए के तहत 'मौत की सजा' को चुनौती दी जाती है, धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दी गई वही सजा अभी भी कायम है और अंतिम है।

---

(10) 2006 सीआरएलजे 170
(11) (2002) 2 आर. सीआरएल
आर. 369

(11) इसी प्रकार, यह दलील कि क्या धारा 364-एआईपीसी लागू होती है या उसके तहत दोषी को 'विशेष कारणों' से पहले दुर्लभतम मामलों के परीक्षण का पालन किए बिना मौत की सजा दी जा सकती है, याचिकाकर्ताओं द्वारा बहुत अधिक उपलब्ध और असफल रूप से उठाया गया था या अब उन्हें उसी मुद्दे को फिर से उठाने से रोक दिया गया है, यह भी महत्व रखता है। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि 25 जनवरी, 2010 (अनुलग्नक पी 2) के निर्णय के तहत याचिकाकर्ताओं की अपील पर निर्णय लेते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 26 में 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 42 के आधार पर धारा 3 64-ए को सम्मिलित करने के उद्देश्य और उद्देश्य का उल्लेख किया और उसके बाद निम्नानुसार आयोजित किया: -

> " ... संशोधन के कारण जिन उद्देश्यों और कारणों का सादा पठन हुआ, फिरौती के लिए अपहरण से निपटने में संसद की चिंता को दर्शाता है, एक अपराध जिसमें निवारक सजा की मांग की गई थी, यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां अपहरण के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई थी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि फिरौती के लिए अपहरण पूरे देश में एक लाभप्रद और फलता-फूलता उद्योग बन गया है जिससे कठोरतम संभव तरीके से निपटा जाना चाहिए और न्यायालयों पर भी एक दायित्व है। अदालतें इस दिशा में मदद का हाथ बढ़ाएंगी। हमारे सामने मामले में, हम पाते हैं कि न केवल अभि वर्मा का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, जो कार्य अपने आप में मौत की सजा को आकर्षित करेगा, बल्कि इस प्रक्रिया में उसकी हत्या कर दी गई थी। यह प्रासंगिक है कि उपरोक्त संशोधनों से पहले भी, हेनरी के मामले *(सुप्रा)* में इस न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपहरण और हत्या के मामले में भी मौत की सजा दी जा सकती है ... " (महत्त्व लागू)

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सजा की मात्रा पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया और संक्षेप में कहा कि: -

> *"24,* पूर्वोक्त कुछ निर्णय आधुनिक समाज में मौत की सजा की वैधता और औचित्य के रूप में चल रही बहस का उल्लेख करते हैं। ऐसे नैतिकतावादी हैं जो कहते हैं कि जैसा कि भगवान ने जीवन दिया है, उसे अकेले ही इसे छीनने का अधिकार है और इस विशेषाधिकार को किसी भी इंसान द्वारा हड़प नहीं लिया जा सकता है। ऐसे अन्य लोग हैं जो मानते हैं कि मौत की सजा
>
> इसे प्रतिशोधी या निवारक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मौत की सजा की संभावना ने कभी भी गंभीर अपराध के लिए निवारक के रूप में काम नहीं किया है। हालांकि, भारत में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि चूंकि मौत की सजा क़ानून की किताब में है, इसलिए इसे सम्मानित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि परिस्थितियां इसे सही ठहराएं। बचन सिंह के मामले *(सुप्रा)* में व्यापक सिद्धांत को 'दुर्लभ मामलों में सबसे अधिक' के रूप में रखा गया है। बचन सिंह मामले के बाद इस

न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला का पालन किया गया है जिसमें इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के प्रकार के बारे में बताया गया है। **माछी सिंह और अन्य, बनाम पंजाब राज्य** *(*जे *983) 3* एससीसी *470* में इस न्यायालय ने संकेत दिया कि इस श्रेणी का गठन क्या हो सकता है ... "

(13) अंतिम निर्णय के निकाले गए भाग से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति, इसकी गंभीरता और वर्ष 1993 में धारा 364-ए को शामिल करके प्राप्त किए जाने वाले विधायी उद्देश्य के अनुरूप उचित सजा पर विचार किया। यह अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि अब यह दलील देने की मांग की गई है कि धारा 364-ए आईपीसी केवल तभी लागू होती है जब अपराध सरकार या किसी विदेशी देश आदि के खिलाफ किया जाता है या याचिकाकर्ताओं के मामले में ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं पाया गया था।

(14) जैसा कि यह हो सकता है, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों की गहन और महत्व के कारण, हम गुणों पर भी अपने विचार व्यक्त करना उचित समझते हैं।

(15) आईपीसी की धारा 364 में परिभाषित 'अपहरण या हत्या के लिए अपहरण' का अपराध इस तरह के अपहरण या फिरौती के लिए अपहरण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अपर्याप्त पाया गया था, इसलिए धारा 364- ए आईपीसी को 22 मई, 1993 से 1993 के अधिनियम संख्या 42 द्वारा डाला गया था। अपराध की प्रकृति को 26 मई, 1995 से 1995 के अधिनियम संख्या 24 द्वारा और व्यापक किया गया है, जिससे मौजूदा वाक्यांश "सरकार या कोई अन्य व्यक्ति", एक विस्तारित अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया है "सरकार या कोई विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या कोई अन्य व्यक्ति"।

(16) 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 42 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संशोधन को "फिरौती के लिए आतंकवादियों द्वारा अपहरण, लोगों में आतंक पैदा करने और गिरफ्तार सहयोगियों और कैडरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, जिसने गंभीर आयाम ग्रहण किया है जिसके लिए कानून के मौजूदा प्रावधान अपर्याप्त साबित हुए थे"। दूसरी ओर, 1995 के संशोधन अधिनियम संख्या 24 के तहत आईपीसी की धारा 364-ए में और संशोधन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए बंधकों के अपहरण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप घरेलू कानून लाना था। लाख

17 दिसंबर, 1979 और जिसमें भारत ने 7 सितंबर, 1994 से प्रभावी व्यवहार किया। परिणामस्वरूप, 26.05.1995 से 'फिरौती के लिए अपहरण' के अपराध में न केवल निजी व्यक्ति शामिल थे, बल्कि वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन को कोई कार्य करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने में लिप्त थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य *

केवल उन लोगों को मृत्युदंड देना जो सरकार, किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के खिलाफ अपराध करते हैं, इस प्रकार पूरी तरह से दिखावा है और धारा 364-ए आईपीसी के विधायी इतिहास के विपरीत है।

(17) वर्ष 1993 में आईपीसी की धारा 364-ए की शुरुआत से ही एक निजी व्यक्ति के 'फिरौती के लिए अपहरण' के अपराध के लिए निर्धारित वाक्यों में से एक मौत थी। बाद के संशोधन द्वारा इसे न तो छोड़ा गया है और न ही कम किया गया है। प्रावधान की 'rctrospcivity' को चुनौती पूरी तरह से भ्रामक और भ्रामक है क्योंकि 14 फरवरी, 2005 के बाद धारा 364-A IPC में कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं गया है, अर्थात् याचिकाकर्ताओं द्वारा अपराध करने की तारीख।

(18) आईपीसी की धारा 364-ए में दी गई सजा के पीछे के उद्देश्य ने फिर से अकरम खान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (12) में आर्कसेंट फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, जहां 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 42 के पीछे के उद्देश्यों और कारणों पर विचार करने पर, इसने फैसला सुनाया कि: - *

*(*उपरोक्त से स्पष्ट है कि फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित मामलों से निपटने में संसद की चिंता स्पष्ट है, एक अपराध जिसमें निवारक सजा की मांग की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि अपहरण के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई थी। अपहरण में खतरनाक वृद्धि को देखते हुएयुवा चिइड्रेन

> फिरौती के लिए, विधायिका ने अपने ज्ञान में कठोर सजा का प्रावधान किया। इसलिए, हमारा विचार है कि उन मामलों में जो कोई भी फिरौती के लिए छोटे बच्चों का अपहरण या अपहरण करता है, सजा देने में कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए, दूसरी ओर, इसे कठोर तरीके से निपटाया जाना चाहिए और एक दायित्व अदालतों पर भी टिका हुआ है ... ″

(19) किसी अधिनियम को अपराध के रूप में परिभाषित करना मुख्यत विधायिका का कर्तव्य है। ऐसे अपराध के लिए समुचित दंड देने का विचार भी एक विधायी नीति है। प्रत्येक विधायी कार्रवाई को संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो। इसकी वैधता की धारणा का खंडन करने के लिए एक विधायी कार्रवाई को चुनौती इस प्रकार दो

(12) (2012) 1 एससीसी 406

प्रसिद्ध सिद्धांतों पर स्वीकार्य है, अर्थात्, (i) क्या विधायी कार्रवाई मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करती है; (ii) क्या विधानमंडल, जिसने आक्षेपित कानून बनाया था, संविधान के अनुच्छेद 246 के अर्थान्तर्गत इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम था?

(20) चुनौती का पहला हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के इर्द-गिर्द घूमता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आईपीसी की धारा 364-ए में 'अपराध' और 'सजा' के बीच आनुपातिकता पर अंतर्निहित दिशानिर्देशों के अभाव में, जबकि पहले अपराधी को मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन उदार विचारों पर एक आदतन फंदे से बच सकता है। चूंकि सजा का प्रावधान भेदभावपूर्ण परिणामों की ओर जाता है, इसलिए यह कानून की भेदभावपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन को छीनकर अनुच्छेद 21 को भी समान रूप से अपमानित करेगा। हमारे विचार से, **बचन सिंह बनाम ^w.y पंजाब राज्य (13**) में संविधान पीठ के आदेश का पालन करते हुए Ilie विवाद विफल होना चाहिए, 'विशेष कारणों' के मामले में 'मृत्युदंड' को बरकरार रखा जाना चाहिए, और इस तरह की चरम सजा संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। सजा के भेदभावपूर्ण फैसले की बेबुनियाद आशंका को भी बचन सिंह में शांत कर दिया गया था , जिसमें कहा गया था कि: -

> *"(ए)* सामान्य नियम यह है कि हत्या के अपराध को आजीवन कारावास की सजा के साथ दंडित किया जाएगा। अदालत उस नियम से हट सकती है और मौत की सजा तभी दे सकती है जब ऐसा करने के लिए विशेष कारण हों। मौत की सजा देने से पहले ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए*:*
>
> *(ख)* दंड संहिता की धारा *302* के अधीन हत्या के अपराध के लिए अधिरोपित किए जाने वाले दंडादेश के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध के साथ-साथ अपराधी से संबंधित प्रत्येक सुसंगत परिस्थिति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि न्यायालय पाता है*,* लेकिन अन्यथा नहीं*,* कि अपराध असाधारण रूप से भ्रष्ट और जघन्य चरित्र का है और इसके डिजाइन और इसके निष्पादन के तरीके के कारण*,* बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर खतरे का स्रोत है*,* तो अदालत मौत की सजा दे सकती है। *"*

(21) 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों में मौत की सजा देने और बचन सिंह मामले में प्रतिपादित 'विशेष कारणों' के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश को बाद के निर्णयों में उत्तरोत्तर विस्तारित किया गया है, जिसमें मैक/आई/डब्ल्यूसिंह और अन्य शामिल हैं। (सुप्रा), **राजेश कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से राज्य (14),** और कई अन्य मामले। इन्हीं पैरामीटरों के अनुरूप है कि आईपीसी की धारा 364-ए के तहत दीतली शास्ति का पुरस्कार हेनरी **विक्स्मुलियार रॉबर्ट्स आदि** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा उतरा। *(***15), मोहन और अन्य।** बनाम **तमिलनाडु राज्य (16), और** अकरम खान *(सुप्रा)* में हाल के निर्णय में।

(22) संविधान के अनुच्छेद 21 के पीछे के पवित्र उद्देश्य या इस मामले में इसके कथित उल्लंघन की याद दिलाने के अलावा कोई सार्थक तर्क नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं को फांसी पर लटकाने का निर्णय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्विवाद रूप से लिया गया है।

(13) (1980) 2 एससीसी
684

यह फुसफुसाया भी नहीं गया कि संसद भारतीय दंड संहिता में धारा 364-ए को कानून बनाने और जोड़ने में अक्षम थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया पहला और दूसरा आधार किसी भी योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(23) तीसरा विवाद आंशिक रूप से विफल हो जाएगा, जो कि विवाद संख्या 1 पर विचार करते समय दिए गए कारणों से है। (i) & (ii) उद्देश्यों और कारणों के साथ-साथ धारा 364-A IPC के विधायी इतिहास के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि धारा 11 आईपीसी के अनुसार, "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं। इली परिभाषा संपूर्ण नहीं है और इसमें शामिल हैjuristic

(14) (2011)13 एससीसी 706
(15) (1985) 3 एससीसी 291
(16) (1998)5 एससीसी 336

(13) (1980) 2 एससीसी
684

या प्राकृतिक व्यक्तियों और किसी भी तरह से केवल कानूनी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 11 को संहिता के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में और संदर्भ में माना जाना चाहिए और यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए कृत्रिम निर्माण को दिया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के कई अध्याय निर्जीव हो जाएंगे। यह तर्क पूरी तरह से इस तथ्य की अनदेखी करता है कि आईपीसी की धारा 364-ए में "कोई अन्य व्यक्ति" वाक्यांश केवल फिरौती के लिए एक निजी व्यक्ति के अपहरण को दंडित करने के लिए डाला गया था।

(24) चौथे विवाद को भी आंशिक रूप से विवाद संख्या 1 के विरुद्ध हमारे कारणों से पूरा किया गया है। (i) & (ii) हम पुनरावृत्ति की कीमत पर कह सकते हैं कि मूल रूप से धारा 364-ए आईपीसी को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता के लिए नहीं डाला गया था और यह केवल भारत द्वारा 7 सितंबर, 1994 को उक्त कन्वेंशन में स्वीकार करने के बाद ही था कि 1995 का एएमसीएनडीएमसीएनटी अधिनियम संख्या 24 पारित किया गया था। आईपीसी की धारा 364- ए में 1995 के बाद का संशोधन याचिकाकर्ताओं के मामले को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाता है। **जॉली** जॉर्ज वर्गीसिया एक्ससो में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि "सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का उपाय राज्य की कानून अदालतों में नहीं पाया जाना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पास नागरिक कानून का बल या अधिकार नहीं है, जब तक कि इसके प्रेरणादायक प्रभाव / इस प्रकार, इसमें भी कोई योग्यता नहीं है।

(25) पांचवें विवाद में आईपीसी की धारा 364-ए के तहत मौत की सजा को 'नियम' या आजीवन कारावास को 'अपवाद' करार देने के पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. किसी भी निश्चित जानकारी या सामग्री के अभाव में जैसे अस्पष्ट और जंगली कलह पूरी तरह से अस्वीकृति के योग्य है। हालांकि, हम यह जोड़ना जल्दबाजी कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट किए गए निर्णय, जिनमें से कुछ इस आदेश में उद्धृत हैं, स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मौत की सजा देने के लिए लागू जोरदार परीक्षण धारा 364-ए आईपीसी के तहत एक मामले में सजा की मात्रा पर विचार करते समय भी लागू किए जाते हैं। फिरौती के लिए अपहरण के शिकार व्यक्ति को छुड़ाए जाने पर भी मौत की सजा देने का कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। यह विचार करने का अवसर कि क्या मामला ज्ञात अपवादों के भीतर आता है और मौत की सजा देने के लिए फिट है, केवल तभी उत्पन्न होता है जब पीड़ित को लालच के लिए ठंडे खून वाली भीषण हत्या का सामना करना पड़ता है। **निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी, एडवोकेट** (सुप्रा) में निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि यह धारा 302, 307 और आईपीसी के तहत कुछ अन्य अपराधों के साथ पढ़ा जाने वाला टाडा के तहत एक मामला था और यह टाडा के तहत नामित न्यायालय के कर्तव्यों की व्याख्या करता है।

(26) अंतिम सबमिशन के पास भी खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है और उसे सपाट गिरना चाहिए। विनोद कुमारी मामले में एक समन्वय पीठ का निर्णय याचिकाकर्ताओं को एक से अधिक कारणों से कोई मदद नहीं करता है। सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत भी ठोस अपराध के लिए उच्चतम न्यायालय तक दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 364-ए के तहत सजा की मात्रा, किसी भी तरह से, उनके भाग्य को नहीं बदलती है। दूसरा, **विनोद कुमार के** मामले में अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। तथ्यों के आधार पर कम सजा देना न्यायोचित था। तीसरा, **विनोद कुमार के** मामले में और साथ ही बलवंत सिंह के मामले में इस न्यायालय की पिछली डिवीजन **बेंच के फैसले में** , वाक्यांश "या किसी अन्य व्यक्ति" पर बेंच द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। चौथा, याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सजा की मात्रा पर याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इस निष्कर्ष पर लगाया है कि अपहरण के तुरंत बाद पीड़ित को रसायनों की मदद से एक लाश के रूप में बदल दिया गया था और उसे अमानवीय, शैतानी और नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था।

(27) जिन कारणों से कहा गया है, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे खारिज करते हैं।

(28) 23 सितंबर, 2012 को स्थापित रिट याचिका पर हमने 27 सितंबर, 2012 को सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक विशिष्ट उल्लेख किया कि उनकी दलीलों से असहमत होने की स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। चूंकि कहा जाता है कि मौत के वारंट 5 अक्टूबर, 2012 को फांसी के लिए जारी किए गए थे, इसलिए हम अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, अधीक्षक, सेंट्रल जेल, पटियाला को निर्देश देते हैं कि वे डेथ वारंट को स्थगित रखें और 12 अक्टूबर, 2012 तक उसे निष्पादित न करें, इस बीच, याचिकाकर्ताओं को अपील करने के लिए विशेष अनुमति के अपने उपाय का लाभ उठाने में सक्षम बनाएं।

(29) इस आदेश की एक प्रति, जो इस न्यायालय के बेंच सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित है, श्री नरेश कुमार जोशी, भारत संघ के विद्वान वकील, सुश्री मोनिका छिब्बर शन्ना, डीएजी पंजाब और श्री रवि दत्त शन्ना, डीएजी हरियाणा को इन्फोनेशन और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दी जाए और सामान्य शुल्क जमा करने पर याचिकाकर्ताओं के वकील को भी सौंप दी जाए।

(30) **दस्ती** भी।

एम. जैन

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

जैस्मिन प्रीत कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत
हरियाणा